कार्यालय पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन, कमिश्नेरट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-31.07.2024

विषयः-”ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त प्रदीप यादव को 08 वर्ष का सश्रम कारावास व 10000/- रूपये अर्थदण्ड व अभियुक्त विनोद यादव को 363,120 बी भादवि में 03 वर्ष की सश्रम कारावास व 5000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

आज दिनांक 31-07-2024 को पुलिस उपायुक्त गोमती जोन के निर्देशन में मानिटरिंग सेल व थाना फूलपुर की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना फूलपुर में पंजीकृत मु0अ0सं 132/16 धारा 363,366,376 भा0द0वि0 व ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त प्रदीप यादव पुत्र स्व0 समरजीत यादव निवासी ग्राम तड़सड़ा, थाना फूलपुर, वाराणसी को मा0न्या0 विशेष न्या0 पाक्सो वाराणसी द्वारा धारा 363 भादवि 03 वर्ष सश्रम कारावास व 5000/- रूपये अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में 05 वर्ष सश्रम कारावास व 5000/-रूपये अर्थदण्ड, धारा 506 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा धारा 4 पाक्सो एक्ट में 08 वर्ष सश्रम कारावास व 10000/- रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।

उपरोक्त मुकदमें में अभियुक्त विनोद यादव पुत्र शिवअधार यादव, निवासी ग्राम दोरा बरही नेवादा, थाना फूलपुर, वाराणसी को धारा 363, 120बी भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सोशल मीडिया सेल

पुलिस उपायुक्त

***गोमती ज़ोन, कमिश्नेरट वाराणसी**